>

Title: Need to provide pension to all widows in the country.

श्री सज्जन वर्मा (देवास): माननीय सभापति महोदय, मेरा शून्य काल का विषय विधवा महिलाओं से संबंधित है। भारत में आज भी विधवा महिलाएं अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी कठिन परिस्थितियां हैं। जब हम लोग गांवों में दौरे पर जाते हैं तो सैंकड़ों की संख्या में विधवा महिलाएं हमारे सामने आती हैं। विधवाओं के संदर्भ में भारतीय समाज आज भी संकीर्ण मानसिकता से उभर नहीं पाया है। विधवा शब्द ही अपने आप में वेदना का पर्याय परिलक्षित होता है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुझ रही इन महिलाओं के लिए कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में जब-तब सड़कों पर आंदोलन करके केन्द्र का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश लगातार की जा रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन विधवा महिलाओं को राज्य सहायता के रूप में 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन के रूप में यह राशि दी जाये और इसमें किसी प्रकार की भी जाति और उम्र का बंधन न हो। इसमें कोई जाति और उम्र का बंधन नहीं होना चाहिए। साथ ही इतनी ही राशि सम्बन्धित राज्य सरकार से भी दिलवाने के लिए कोई नियम पुनरीक्षित किया जाये, यह मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है।

MR. CHAIRMAN: The names of the following Members may be associated with the matter raised by Shri Sajjan Singh Verma:

Shri Virendra Kumar

Dr. Vinay Kumar Pandey

Shrimati Jyoti Dhurve

Shri Arjun Ram Meghwal

Shri Ravindra Kumar Pandey

Shri Mahndrasinh P. Chauhan

Shri Shivkumar Udasi

Shri Devji M. Patel

Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi

Shri P.L. Punia